

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 074649

(आरूप-ब)
इंदौर में स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके द्वारा किलोमी बलरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान संचालित की जा रही है वर्ष 2023-24 से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है जो अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी सपथ-पत्र का प्रारूप :-

1. हम श्रीमती मुन्जुन पाल एवं श्री भवना पाल इमरत: अप्पल एवं सचिव मुन्नापाल कैलासी देवी एण्डुकेशनल वेल्फेयर सोसायटी, ग्राम कोदवट पोस्ट गायघाट तहसील धनघटा जिला सन्तकबीर नगर सपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है।
3. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है-

क्रम संख्या	पता	प्लॉट संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
1	ग्राम कोदवट पोस्ट गायघाट तहसील धनघटा जिला सन्तकबीर नगर	402 397	0.8174	0.8174

यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थानों निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	प्लॉट संख्या	रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	मुन्नापाल कैलासी देवी एण्डुकेशनल सोसायटी	निर्मित	ग्राम कोदवट पोस्ट गायघाट तहसील धनघटा जिला सन्तकबीर नगर	402 397	0.8174	0.8174

होना उक्त सपथपत्र का प्रारूप 2023-24 से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है जो अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी सपथ-पत्र का प्रारूप :-

(Handwritten Signature)

5. यह कि, उपरोक्त स्थिति संबंधित शिक्षण के संकलन के प्रारंभ के समय की है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
6. यह कि, उपरोक्त विवरण में निम्नवत् बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् है-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल एकड़	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
NA	NA	NA	NA	NA	NA

6. यह कि, परिषद में यदि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई भूमि खरीद की जाती है तो उसका विवरण परिषद कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि वी गयी जानकारी एवं अनिलेख/दस्तावेज कर्जी, कुटुंबीय अथवा फुटिपूल प्राप्त होते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगा।

ED अक्षय
श्री.सती गुप्ता

ED सचिव
श्री. प्रकाश